(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 244/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/849**

1. अजीत सिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

..................**वादीगण**

बनाम

1. दीपक सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. मोहन सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. राजेश देवी पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. सतीश पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. सीमा पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..................प्रतिवादीगण

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

दावा बाबतः– खाता विभाजन

–ःनिर्णयः– **दिनांकः–** 05/8/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 232 में भूमि ख0 न0 307 रकबा 1.03 है0, में वादी का 3/8 हिस्सा है एवं शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार अन्य प्रतिवादीगण का है इसी अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज कास्त है।
2. यह कि वादी का वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से के रकबा को अन्यत्र उपयोग हेतु सम्परिवर्तन नही करवा सकता है इसलिए वादी का खाता संयुक्त रहने से भारी परेशानी हैं। अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित करवाने हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित [illegible] नम्बर 307 रकबा 1.03 हैक्टर में वादी का 3/8 हिस्सा का [illegible] की प्राथमिकता देते हुये। खाता विभाजन किया जाकर [illegible] किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.05.2024 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 197 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1647 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बडबर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 232 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 232 के ख0 न0 307 रकबा 1.03 है0 में वादी खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 20.05.2024 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 197 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1647 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 244 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 849**

अजीत सिंह **बनाम** दीपक आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मनु यादव एडवोकेट** की उपस्थित एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 232 के ख0 न0 307 रकबा 1.03 है0 में वादी खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 20.05.2024 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 197 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1647 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05/8/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:24:25 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना